न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 37/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/63

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
मगनाराम पुत्र रामदेवराम जाति मेघवाल निवासी मीर कुआ की ढ़ाणी डीडवाना तहसील व जिला डीडवाना–कुचामन।		1. अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सतार जाति देशवाली निवासी मीर कुआ की ढ़ाणी डीडवाना तहसील व जिला डीडवाना–कुचामन। 2. नायब तहसीलदार डीडवाना।

म्यूटैशन अपील अधीन धारा 75 भूराजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन नम्बर 698/31.01.1983 जो नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री तेजपाल राठी वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कमल किशोर मोठ वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक : **15.04.2025**

अपील के तथ्य संक्षेप में इस इस प्रकार है कि :–

अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब किसान वर्ग का व्यक्ति है। अपीलांट के पिता रामदेवराम पुत्र कुम्भा जाति मेघवाल निवासी डीडवाना के कब्जासुद सहखातेदारी की भूमि पुराने खसरा नम्बर 2049 रकबा 38 बीघा वाके सरहद मौजा डीडवाना में स्थित थी। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलांट के पिता रामदेवराम के कब्जासुद खातेदारी का था व 1/2 सहखातेदार नारायण पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी डीडवाना के कब्जासुद खातेदारी का था। यानि उक्त मूल खसरा में से 19 बीघा अपीलांट के पिता की कब्जासुद खातेदारी की भूमि थी व 19 बीघा ही नारायण की कब्जासुद खातेदारी की थी व उसी अनुसार आगे खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन कालान्तर में कथित हकीम पुत्र चाँद कौम देशवाली ने कोई फर्जी कार्यवाही करके सहखातेदार नारायण के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया वह भी 19 बीघा की वजाय 24 बीघा गलत ढंग से अपने नाम करवा ली, जबकि नारायण के हिस्से की 19 बीघा ही अपती थी व उक्त [illegible] खसरा की गयी कथित कार्यवाही के संबंध में जो रेकर्ड में अंकित है उस संबंध में [illegible] की तो ऐसी किसी भी कार्यवाही की कोई पत्रावली कहीं भी उपलब्ध नहीं होने से हमने अन्य दस्तावेज निकलवाये तो पता चला कि बाद में इस मूल खसरा के नये खसरा नम्बर 25[illegible] कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by: Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

हुऐ थे जिनमें से वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम मूल खसरा नम्बर 251 रकबा 3.8300 हैक्टेयर यानि 24 बीघा है व अपीलांट के नाम खसरा नम्बर 251/288 रकबा 2.2500 हैक्टेयर यानि 14 बीघा ही है जबकि अपीलांट रामदेवराम का उत्तराधिकारी है उसके नाम रामदेवराम की 19 बीघा जमीन दर्ज होनी चाहिए कथित हकीम ने बलत खातेदारी दर्ज करवा कर आगे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अली मोहम्मद को बेचान कर दिया व अली मोहम्मद के नाम वर्तमान में खसरा नम्बर 251 रकबा 3.800 हैक्टेयर गलत दर्ज हो रखी है। हमने मूल खसरा का नामान्तरकरण दिलवाया जो उक्त हकीम के नाम विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत हुआ है और उस गलत व विधि विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 698/दिनांक 31.01.1983 के आधार पर उत्तरोतर बंचान हुआ है इस करण मूल नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही में प्रमाणित प्रति दिनांक 23.05.2024 को प्राप्त होने पर हुई है इस कारण जानकारी से कानूनी राय लेकर तुरन्त अपील पेश की जा रही है उपरोक्त परिस्थितियों में देरी माफ कर अपील अन्तर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से आवेदन मय शपथ पत्र पेश है आधार अपील निम्नलिखित है:–

1. नामान्तरकरण जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत किया होने से खारिज/संशोधित किये जाने योग्य है।
2. चूंकि मूल पुराना खसरा नम्बर 2049 अपीलांट के पिता रामदेवराम की सहखातेदारी का था यानि अपीलांट के पिता के नाम 1/2 हिस्स दर्ज था और मूल खसरा का रकबा 38 बीघा था जिससे अपीलान्ट के पिता की 19 बीघा भूमि बनती थी जो पुराने राजस्व रेकर्ड से साबित है पुराना राजस्व रेकर्ड अवलोकन हेतु साथ पेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पिता की खातेदारीका रकबा 19 बीघा की बजाय बाद में 14 बीघ करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था न ही ऐसा किस न्यायालय का आदेश था न अपींाट व उसके पिता वगैराह के विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही हुई न इसकी जानकारी हुई व कथित हकीम वगैरह ने अपराधिक षड़यंत्र रच कर बाले बाले मिलावटी ढ़ंग से बिना किसी पत्रावली कायम हुऐ गलत नामान्तरकरण जैर अपील स्पीकृत करवाय है जिस करण अपास्त निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।
3. उक्त भूमि शुरू से ही अपलांट के पिता यानि अनुसूचित जाति के व्यकित के नाम खातेदारी में दर्ज रही थी और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण या अन्य किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है धारा 42 राज0 टि0 एक्ट के तहत प्रतिबंधित है इसके बावजूद कथित हकीम ने गलत व मिलीभगत से फर्जी कार्यवाही के जरिये अनूसूचित जाति के व्यक्ति रामदेवराम का हिस्सा कम करवा कर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।
4. नामान्तरकरण प्रस्तावित व स्वीकृत करने से पूर्व न तो मौके की जाँच की गयी न ही काबिज खातेदार को नोटिस दिया गया न कोई सुनवाई की गयी व बाले बाले बिना जाँच किये अनूसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का कथित हकीम के नाम गलत नामान्तरकरण दर्ज किया होने से ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डाडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

नामान्तरकरण अवैध था व है तथा उसे निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल कर अपीलांट के नाम मूल खसरा की 19 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज करवाई जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

5. चंकि कथित हकीम ने नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत करवाया था लेकिन बाद में उसने आगे नूमाईशी हस्तान्तरण विलेख के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम भूमि दर्ज करवाई गयी है तथा उक्त हकीम फौत हो चुका है व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ही मूल खसरा के नये बने खसरा नम्बर 251 का खातेदार है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पक्षकार दर्ज कर यही अपील पेश की जा रही है व आवश्यकता होने पर यदि और कोई आवश्यक पक्षकार हुआ तो पक्षकार बनाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुऐ यह अपील पेश की जा रही है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व षड़यंत्र के तहत स्वीकृत करवाया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाकर रेकर्ड कीपूर्व की स्थिति बहाल कर मूल खसरा नम्बर 2049 की 1/2 हिस्सा की भूमि रकबा 19 बीघा जो अपीलांट के पिता स्व.रामदेव के नाम थी उक्त 19 बीघा भूमि रामदेव के उत्तराधिकारी अपीलांट के नाम र्द करवाने के आदेश प्रदान करावें व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राजात इसी अनुसार करवाया जावें।

अपील दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री कमल मोठ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थी ने उक्त अपील को मयाद में लेने के लिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया है, जिसमें यह उल्लेख किया है कि मूल नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही में प्रमाणित प्रति दिनांक 23.05.2024 को प्राप्त होने पर हुई, लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया की उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रमाणित प्रति लेने से पूर्व कैसे व किससे हुई, इसका स्पष्ट कथन अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है, केवल मात्र प्रमाणित प्रति का सहारा लेकर उक्त प्रकरण जो अत्यधिक पुराना होने के बावजूद उसको मयाद में लेने के लिए झुठे तौर पर प्रमाणित प्रति लेने पर प्रथम बार जानकारी होने का झुठा उल्लेख किया है।
2. प्रार्थी की अपील बहुत देरीना है तथा मयाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है, जिससे प्रार्थी की अपील मयाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना–[illegible] कि प्रार्थी का प्राथना–पत्र मय हर्जा–खर्चा के खारिज फरमाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान [illegible] प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भुमि [illegible] पिता यानि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज रही थी और अनु[illegible]त जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

खातेदारी की भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण या अन्य किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 42 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इसके बावजुद कथित हकीम ने गलत व मिलीभगत से फर्जी कार्यवाही के जरिये अनूसूचित जाति के व्यक्ति रामेवराम का हिस्स कम करवा कर विधि विरूद्ध नामान्तकरण स्वीकृत कराया गया है जिसको खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त अपील को मयाद में लेने के लिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया है, जिसमें यह उल्लेख किया है कि मूल नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही में प्रमाणित प्रति दिनांक 23.05.2024 को प्राप्त होने पर हुई, लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया की उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रमाणित प्रति लेने से पूर्व कैसे व किससे हुई, इसका स्पष्ट कथन अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है, केवल मात्र प्रमाणित प्रति का सहारा लेकर उक्त प्रकरण जो अत्यधिक पुराना होने के बावजूद उसको मयाद में लेने के लिए झुठे तौर पर प्रमाणित प्रति लेने पर प्रथम बार जानकारी होने का झुठा उल्लेख किया है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 698 दिनांक 31.01.1983 को चुनोती दी है जो कि हकीम पुत्र चांद जाति देशवाली के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 698 दिनांक 31.01.1983 के आधार पर उतरोतर बेचान के बाद उक्त खसरा अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सतार के नाम खसरा सं0 251 रकबा 3.8300 हैक्टर दर्ज हुआ। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण को कहीं भी चुनोती नहीं दी है। अपीलान्ट ने सम्पूर्ण दजस्तावेज भी पत्रावली में पेश नहीं कर रखे है। अपीलान्ट ने अपील भी अधुरी पेश की है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, लेकिन चुंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी अन्य स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज हुई है। इस संबंध में न्यायालय यह उचित समझता है कि तहसीलदार डीडवाना उक्त प्रकरण की जांच कर यदि अनियमितता पाई जाती है तो 30 दिवस में रेफरेन्स की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार डीडवाना को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:51 IST
Reason: SelfAttested